

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सागर

Email - eepwdnhsagar@mp.nic.in

Phone No. 07582-222206 Fax No. 07582-241438

पत्र क्रं. 364 कार्य/2020-21
प्रति.

सागर दिनांक 01/02/21

कलेक्टर,
जिला पन्ना (म.प्र.)

विषय:- राष्ट्रीय राजमार्ग 43(विस्तार) गुलगंज - अमानगंज - पवई - कटनी मार्ग के खण्ड किमी. 43+00 से किमी. 77+00 तक (बारना नदी, ग्राम - कूपी से केन नदी, ग्राम - उडला, अमानगंज) चौड़िकरण एवं एकरेखण सुधार कार्य में पन्ना रिजर्व टाईगर के बफर जोन वन क्षेत्रांतर्गत वन अधिकारी अधिनियम 2006 के तहत FRA Certificate प्रदान किये जाने बाबत।

संदर्भ:- Privesh Portal आवेदन क्रमांक -FP/MP/ROAD/117982/2020

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 43(विस्तार) गुलगंज - अमानगंज - पवई - कटनी मार्ग के खण्ड किमी. 43+00 से किमी. 77+00 तक (बारना नदी, ग्राम - कूपी से केन नदी, ग्राम - उडला, अमानगंज) चौड़िकरण एवं एकरेखण सुधार कार्य में पन्ना रिजर्व टाईगर के बफर जोन वन क्षेत्रांतर्गतका निर्माण कार्य किया जाना है। जो की पन्ना रिजर्व टाईगर के बफर क्षेत्र लम्बाई किमी. 17+00 से होकर गुजरता है। जिसमें कुल 31.90 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की आवश्यकता है। जिसके लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑन लाईन प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Privesh Portal पर आवेदन क्रमांक -FP/MP/ROAD/117982/2020 द्वारा ऑन-लाईन अपलोड किया गया है। जिसके लिये वन अधिकारी अधिनियम 2006 के तहत FRA Certificate प्राप्त करना अतिआवश्यक कार्यवाही है।

जिसके उपरांत वन-भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण किया जा सकेगा। वन-भूमि व्यपवर्तन की प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रदान किये जाने के बाद ही उपरोक्त विषयांकित मार्ग के खण्ड किमी. 43+00 से किमी. 77+00 तक का उन्नयन एवं चौड़िकरण हेतु टेंडर आमंत्रित किया जाना संभव हो सकेगा।

अतः श्रीमान जी से सविनय अनुरोध है की कृपया FRA Certificate प्रदान करने का कष्ट करें।

सहपत्र- उपरोक्तानुसार।

प्र. क्रं. 365 कार्य/2020-21
प्रतिलिपि:-

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा. संभाग सागर

सागर दिनांक 01/02/21

1. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), द्वितीय तल, निर्माण भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग रा. रा. उपसंभाग छतरपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मेसर्स के एण्ड जे प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. भोपाल की ओर सूचनार्थ आप उक्त कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित प्रकरण जमा आवश्यक कार्यवाही करें।

सहपत्र - शून्य

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा. संभाग सागर